सार्वजनिक सूचना।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, जिला न्यायालय परिसर में वर्ष 2021–22 हेतु कैन्टीन को किराये पर देने हेतु खुली बोली दिनांक 24/3/2021 सायं 4.30 बजे आंमंत्रित की जाती है। इच्छुक बोलीदाता दिनांक 24/3/2021 को सायं 4.30 बजे जिला न्यायालय परिसर ,गोपेश्वर स्थित सभागार में बोली लगा सकते हैं। शर्तों की जानकारी जिला न्यायालय के नजारत अनुभाग से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त कर सकते है तथा website: http://districts.ecourts.gov.in/chamoli पर देखी जा सकती है।

दिनांकः मार्च 10 , 2021

10/3/2021

जिला न्यायाधीश,
I/c चमोली।

पत्रांकःमेमो / निविदा / 2020–21 दिनांकः गोपेश्वरः मार्च 10 ,2021

प्रतिलिपि चस्पा किये जाने हेतु–

1– नोटिस बोर्ड जिला न्यायालय चमोली–गोपेश्वर।

2– नोटिस बोर्ड जिला कार्यालय चमोली–गोपेश्वर।

3– नोटिस बोर्ड जिला पंचायत चमोली– गोपेश्वर।

4– नोटिस बोर्ड नगर पालिका चमोली–गोपेश्वर।

5– कार्यालय प्रति।

10/3/2021

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
जिला न्यायालय, चमोली।

संलग्नक–1

<u>कैन्टीन हेतु शर्ते निम्नवत</u>

1– कैन्टीन के लिए वर्ष 2021–22 हेतु न्यूनतम बोली 34,000/– रूपये से प्रारम्भ होगी तथा अधिकतम बोलीदाता की बोली स्वीकार की जायेगी।

2– टेण्डर बोलीदाताओं द्वारा 3500.00 रूपये की राशि अग्रिम नजारत अनुभाग में जमा करनी होगी। बोली में सफल न होने पर यह धनराशि वापस हो जायेगी।

3–स्वीकृत बोली की धनराशि का 50 प्रतिशत तुरन्त तथा शेष 50 प्रतिशत 3 दिन अन्दर जमा करना है।

4–कैन्टीन में किसी प्रकार का मद्यपान/मांस का विक्रय प्रतिबंधित है और यदि इसका उल्लंघन किया गया तो कैन्टीन वापस ले ली जायेगी तथा विधि अनुसार कार्यवाही भी प्रचालित की जायेगी।